राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

–: प्रेस–नोट :–

दिनांकः 13.09.2023

आयोग द्वारा कनिष्ठ विधि अधिकारी (विधि एवं विधिक कार्य विभाग) परीक्षा, 2023 का आयोजन दिनांक 04.11.2023 एवं 05.11.2023 को किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों अनुसार **दिनांक 19.09.2023 से 28.09.2023 तक अभ्यर्थी का नाम, फोटो, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है।** संशोधन चाहने वाले अभ्यर्थी ई–मित्र/ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से रू. 500/– का शुल्क जमा कराते हुए आयोग के ऑनलाइन पोर्टल https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply Online Link अथवा SSO Portal से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर संबंधित परीक्षा के आवेदन पत्र में ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं।

उक्त परीक्षा में केवल ऑनलाइन संशोधन के विकल्प का ही प्रयोग करें। ऑफलाइन संशोधन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। उपरोक्त ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों के हितार्थ सुविधामात्र है। संशोधन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता की शर्तों के अनुरूप ही मान्य होंगे। विज्ञापन की शर्तें पूर्वानुसार ही रहेंगी। उपरोक्त संशोधन के संबंध में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर **recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in** पर ई–मेल से अथवा फोन नं. 9352323625 व 7340557555 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

(रामनिवास मेहता)
सचिव